संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / कोविड—19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 175 0 प्रति. भोपाल, दिनांक ७९/ १०/ २०२०

- 1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
- 2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
- 3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
- 4. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।

विषयः- त्योंहारों के दौरान कोविड-19 की रोकथाम हेतु मानक परिचालन निर्देश।

संदर्भः— भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी "Standard Operating Procedures on preventive measures to contain spread of COVID-19 during festivities" दिनांक 06/10/2020.

विषयांतर्गत लेख है कि माह अक्टूबर से दिसम्बर तक देश में विभिन्न त्योहार मनाये जाते हैं जिसके दौरान बड़ी संख्या में लोग धार्मिक आयोजन, मेला, रैली, प्रदर्शनी, सामुदायिक कार्यक्रम आदि में सम्मिलित होते हैं। यह कार्यक्रम प्रायः 1 दिवसीय अथवा 1 सप्ताह से अधिक तक आयोजित किये जाते हैं। कोविड–19 की संक्रमण की रोकथाम हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन आयोजनों के दौरान आवश्यक सतर्कतायें बरती जाये।

निर्देशित किया जाता है:-

- 1. कंटेनमेन्ट जोन में त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का सामाजिक जमावट वर्जित की जाये।
- 2. 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दीर्घकालिक बीमारी से ग्रस्त रोगी, गर्भवती महिलायें तथा 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाये। इन संवेदनशील श्रेणी के ईवेन्ट मेनेजर/स्टाफ द्वारा भी आवश्यक सतर्कतायें बरती जाये।
- 3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के तारतम्य पर समय—समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुरूप स्थानीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में कार्यवाही की जा सकती है।
- प्रशासकीय गतिविधियाँ धार्मिक आयोजन, मेला, रैली, प्रदर्शनी, सामुदायिक कार्यक्रम आदि आमतौर पर वृहद आयोजन होते हैं जिनमें निम्नानुसार प्रशासकीय आवश्यकतायें सुनिश्चित की जाये:-
 - i. कार्यक्रम आयोजन स्थलों का सीमांकन किया जाये एवं थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी, सैनिटाईजेशन आदि के पालन हेतु विस्तृत नियोजन किया जाये।
 - ii. लंबे समय तक चलने वाले त्योहार, जिनमें भीड़ केवल कुछ विशेष समय पर होती है, के लिए भीड़ नियंत्रण करने की विशिष्ट योजना बनाई जाये ताकि शारीरिक दूरी सुनिश्चित हो सके।
 - iii. रैली, चल समारोह, विसर्जन जुलूस तथा शोभायात्राओं में सीमित संख्या में ही लोंगो को मास्क पहनकर सम्मिलित होने की अनुमति दी जाये। चल समारोह/जुलूस के लिए अधिकतम दूरी भी तय की जाये।
 - iv. एम्बुलेन्स की तैनाती चल समारोह/जुलूसों में अवश्य सुनिश्चित की जाये।
 - v. पूजा पण्डाल, रामलीला पण्डाल, मेला तथा प्रदर्शनियों में भी सीमित संख्या में ही लोंगो को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाये एवं ऐसे स्थलों पर प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु सीमित व्यक्तियों के लिए पृथक—पृथक समय का निर्धारण किया जाये।
 - vi. स्वयंसेवकों के सहयोग से थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क के उपयोग की निगरानी की जाये।
 - vii. कार्यक्रम आयोजन स्थल पर आयोजकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सैनिटाईजर, थर्मल गन तथा शारीरिक दूरी के लिए चूने की मार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
 - viii. कोविड–19 के संदिग्ध मामलों के आईसोलेशन के लिए पहले से ही उपयुक्त स्थान का चयन ईवेन्ट स्थल पर सुनिश्चित की जाये।

- ix. रथल पर क्लोज सर्किट कैमरा के द्वारा शारीरिक दूरी का पालन, मास्क का उपयोग आदि को मॉनिटर किया जाये।
- x. चल समारोह / जुलूस का रूट-चार्ट, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन आदि समय रहते ही नियोजित की जाये एवं जिला प्रशासन द्वारा इसके कड़ाई से पालन हेतु आवश्यक प्रबंधन किये जाये।
- xi. सभी स्थलों पर मूलभूत चिकित्सीय सेवाओं की व्यवस्था हो एवं आकस्मिकता की स्थिति में निकटतम अस्पताल में परिवहन हेतु साधन उपलब्ध रहे।
- 5. कोविड—19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामान्य गतिविधियाँ जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोविड—19 के नियंत्रण हेतु त्योहार संबंधी कार्यक्रम स्थल पर आयोजकों, स्टाफ तथा जन समुदाय द्वारा निम्न सावधानियाँ बरती जायेः
 - i. समस्त व्यक्तियों द्वारा परस्पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी रखी जाये।
 - ii. मुँह व नाक को फेस कवर/मास्क से ढकना अनिवार्य है।
 - iii. कार्यक्रम आयोजन स्थल पर हाथों की धुलाई के लिए साबुन—पानी (संपर्क समय न्यूनतम 40 सेकेन्ड तक) की व्यवस्था की जाये अथवा हेन्ड सैनिटाईजर (संपर्क समय न्यूनतम 20 सेकेन्ड) की व्यवस्था रखी जाये।
 - iv. श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाये एवं खांसते—छींकते समय टिशू/रूमाल/मुड़े हुए बांह का उपयोग किया जाये एवं प्रयुक्त टिशू के निपटान हेतु ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जाये।
 - v. समस्त व्यक्तियों द्वारा अपने स्वाख्थ्य की स्व–निगरानी की जाये एवं सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण होने पर यथाशीघ्र जिले के एस.टी.डी. कोड व 1075 डायल कर डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को सूचित किया जाये।
 - vi. कार्यक्रम आयोजन स्थल पर थूकना प्रतिबंधित होगा एवं इसके पालन की कड़ाई से निगरानी की जाये।
 - vii. कार्यक्रम परिसर में आये आगन्तुकों को आरोग्य सेतु एवं सार्थक एप के इन्टॉलेशन हेतु परामर्श दिया जाये।

6. A) त्योहारों का नियोजन –

- i. जिला प्रशासन द्वारा समस्त संबंधित स्टेक–होल्डर, व्यवसायी तथा मार्केट असोसिएशन आदि के साथ त्योहार के पूर्व विस्तृत चर्चा की जाये।
- ii. कंटेन्मेन्ट जोन के अंदर कोई धार्मिक/सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुमति नहीं होगी इन क्षेत्रों में लोगों को घर पर ही त्योंहार मनाने की समझाईश दी जाये।
- iii. कार्यक्रम आयोजन स्थल पर आवश्यक जगह हो ताकि जन समुदाय में शारीरिक दूरी रखी जा सके।
- iv. आयोजकों द्वारा पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती की जाये जिनके द्वारा कोविड–19 के नियंत्रण हेतु आवश्यक सावधानियाँ जैसे शारीरिक दूरी का पालन, फेस कवर/मास्क का उपयोग, हाथ–धुलाई के लिए पर्याप्त संसाधन, बार–बार छूए जाने वाले संपर्क–सतहों का 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट घोल द्वारा सैनिटाईजेशन संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया जाये।
- v. पर्याप्त संख्या में टिकिट काउन्टर बनाये जाये ताकि कतार प्रबंधन एवं शारीरिक दूरी रखी जा सके।

vi. यथासंभव आयोजकों एवं व्यवसायीयों द्वारा कॉन्टेक्ट-लेस भुगतान प्रणाली की व्यवस्था रखी जाये।

- vii. कार्यक्रम आयोजन स्थलों पर सरल भाषा में क्या करें/क्या न करें संबंधी जानकारी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाये।
- viii. पोस्टर/स्टैन्डी/ऑडियो–विजुअल मीडियो का उपयोग कर कोविड–19 को नियंत्रित करने संबंधी जानकारी प्रसारित की जाये।
- ix. आयोजकों का दायित्व होगा की कोविड—19 के नियंत्रण संबंधी मानक परिचालन निर्देशों के बारे में अपने स्टाफ को उन्मुख करें।

B) कार्यक्रम आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निर्गम की व्यवस्था -

- यथासंभव आगन्तुकों के लिए एक से अधिक प्रवेश एवं निर्गम द्वार बनाये जाये। कार्यक्रम स्थल में पर्याप्त प्राकृतिक क्रॉस–वेन्टीलेशन की व्यवस्था रहे।
- ii. प्रवेश द्वार पर हाथों की स्वच्छता एवं धर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य व्यवस्था की जाये।

- iii. केवल लक्षण रहित स्टाफ एवं आगन्तुकों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये।
- iv. किसी भी व्यक्ति में Influenza Like Illness (ILI) जैसे लक्षण होने पर विनम्रतापूर्वक ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया जाये एवं तत्काल चिकित्सीय परामर्श लेने की समझाईश देते हुए ऐसे व्यक्तियों को पृथक किया जाये।
- v. फेस कवर एवं मास्क का उपयोग करने पर ही समस्त स्टाफ एवं आगन्तुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाये। सार्वजनिक स्थलों पर सर्वथा फेस कवर/मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- vi. प्रवेश द्वार पर कतार में न्यूनतम 6 फीट की परस्पर दूरी सुनिश्चित की जाये एवं इस हेतु चूने से मार्किंग की जाये।
- vii. कार्यक्रम परिसर में पार्किंग क्षेत्र, प्रतिक्षा स्थल, स्टॉल्स तथा भोजनालयों में भीड़ नियंत्रण की उचित व्यवस्था एवं शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाये।
- viii. धार्मिक स्थलों पर प्रवेश हेतु यथासंभव जूते–चप्पल स्वयं के वाहन में ही रखे जाये। आवश्यकता होने पर व्यक्ति/परिजन द्वारा इनकी स्वयं निगरानी की जाये।

C) कार्यक्रम स्थल पर आवागमन -

- i. कार्यक्रम स्थल पर सीमित संख्या में ही आगन्तुकों को प्रवेश दिया जाये।
- ii. परिसर के भीतर एवं बाहर लगे पंडाल, भोजनालय, प्रर्दशनी, दुकानों, स्टॉल, केफेटेरिया आदि में पर्याप्त शारीरिक दूरी सूनिश्चित करते हुए बैठक व्यवस्था बनाई जाये।
- iii. कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छ पेयजल, डिस्पोजेबल कप/ग्लास की व्यवस्था की जाये।
- iv. वातानुकूलित परिसरों में ए.सी. उपकरणों के तापमान की सेटिंग 24-30^o C व सापेक्षिक आद्रता 40-70% रखी जाये। यथासंभव हवा का री–सर्कुलेशन को नियंत्रित कर ताजी हवा व क्रॉस–वेन्टीलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- v. धार्मिक कार्यक्रम स्थलों पर मूर्ति/धार्मिक ग्रंथों, घन्टियों आदि को छूने की अनुमति नहीं दी जाये।
- vi. कोविड—19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु भजन/धार्मिक गीतों के प्रसारण हेतु भजन मंडली/गायक समूहों को अनुमति नहीं दी जाये एवं उचित व्यवस्था होने पर भक्तिमय गीतों/भजन के रेकॉर्डेड गानों का प्रसारण किया जाये।
- vii. कार्यक्रम स्थल पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि के दौरान, भोजन बनाते एवं वितरण करते समय, शारीरिक दूरी के प्राटोकॉल का पालन सुनिश्चित की जाये।
- viii. स्थल पर सामुदायिक रसोई के प्रबंधकों एवं आहार—गृहों के संचालकों द्वारा व्यक्तिगत एवं वातावरण की स्वच्छता का कड़ाई से पालन किया जाये। भोजन पकाते समय, परोसते व खाते समय तथा डिस्पोजेबल थाली, कटोरी, गिलास, दोना आदि के निष्पादन के समय विशेष सतर्कता बरती जाये।

D) कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई -

- i. बार–बार छुये जाने वाले संपर्क सतहों/स्थलों जैसे शौचालय, पेयजल स्थल एवं हाथ धुलाई के लिए बने स्थानों की बार–बार सफाई 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- ii. सार्वजनिक स्थलों पर दरवाजे के हैन्डल, लिफ्ट के बटन, हैन्ड-रेल, कतार प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली बैरीकेड, बेन्च, शौचालय के नल/सीट/वॉश बेसिन आदि की नियमित सफाई 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट से सुनिश्चित की जाये।
- iii. कार्यक्रम परिसर में आगन्तुकों एवं स्टाफ द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क को निर्धारित स्थलों पर रखे गये ढक्कन वाले डस्टबिन में ही फेंका जाये। उपरोक्त का निपटान, खतरनाक बायोमेडिकल अपशिष्ट हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

E) कार्यक्रम स्थल पर चिन्हांकित कोविड–19 संदिग्ध/लक्षणयुक्त व्यक्तियों के प्रबंधन हेतु मानक निर्देश–

- बीमार व्यक्ति को कार्यक्रम में आये अन्य आगन्तुकों से तत्काल पृथक कर ''आईसोलेशन कक्ष / क्षेत्र'' में रखा जाये।
- ii. आईसोलेशन अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा अनिवार्यतः फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाये।
- यदि लक्षण गंभीर होते हैं तो, तत्काल निकटतम अस्पताल अथवा डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को सूचित किया जाये।

- iv. लक्षणयुक्त व्यक्ति में जोखिम का आंकलन मनोनीत स्वास्थ्य अधिकारी (जिला आर.आर.टी.एम.ओ. /नामांकित चिकित्सक) द्वारा सुनिष्टिचत की जाये एवं लक्षण आधारित प्रबंधन प्राटोकॉल का पालन किया जाये। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आये अन्य लोगों में संक्रमण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिष्टिचत की जाये।
- v. संदिग्ध व्यक्ति के कोविड–19 पॉजीटिव पाये जाने पर, समूचे कार्यक्रम परिसर का विसंक्रमण सूनिश्चित किया जाये।

(डॉ. संजय गोयल) आयुक्त स्वास्थ्य,

आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश

क्रमांक / कोविड—19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 1751 प्रतिलिपिः— सूचनार्थ । भोपाल, दिनांक 09/10/2020

- 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग/चि.शि. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
- 2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
- 3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
- 4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
- 5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
- 6. संयुक्त संचालक, आई.डी.एस.पी., म.प्र।
- 7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
- 8. प्रभारी, कोविड—19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश

Government of India Ministry of Health and Family Welfare Directorate General of Health Services

(Emergency Medical Relief)

Standard Operating Procedures on preventive measures to contain spread of COVID-19 during festivities

1. Background

The months of October to December are time for festivities that witness gatherings of large number of people in specified locations for religious worship, fairs, rallies, exhibitions, cultural functions, processions etc. These events may last a day or a week or more. To prevent spread of COVID-19 infection, it is important that necessary preventive measures are followed for such events.

2. Scope

This document outlines various generic precautionary measures to be adopted in addition to specific measures to be taken at locations to prevent spread of COVID-19. No festivity events as enumerated in para 1 above will be allowed in Containment Zones.

Persons above 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women and children below the age of 10 years are advised to stay at home. This applies to the event managers and staff as well.

The competent authority may implement additional measures within their jurisdiction as per their local assessment and in line with activities permitted by Ministry of Home Affairs (MHA) as per MHA orders issued under Disaster Management Act, 2005 from time to time.

3. Administrative requirements

The festivals, fairs, rallies, exhibitions, cultural functions, processions and plays/ concerts associated with these festivities are mass events. Hence the following administrative requirement are advised:

- i. Identify spatial boundaries and prepare a detailed site plan which would facilitate compliance with thermal screening, physical distancing, sanitization etc.
- ii. In case of events that run for days or weeks, the crowd density doesn't remain the same throughout and usually peaks around certain hours of the day and some previously known auspicious days. Planning for the event should specifically factor this so that crowds are regulated and managed to ensure physical distance and frequent sanitization.
- iii. In case of rallies and immersion processions the number of people should not exceed the prescribed limit and proper physical distancing and wearing of masks must be ensured. In any case, the number of such rallies and the distance covered by them may be kept within manageable limits.
- iv. Events such as rallies, and processions spread over long distances may require support of ambulance services.

- v. Events planned to last for many days or weeks such as exhibitions, fairs, puja pandals, ramlila pandals or concerts and plays should have adequate measures to ensure a cap on physical numbers. Staggered timings and restricted entry may be considered.
- vi. Volunteers should be appropriately stationed to ensure thermal scanning, physical distancing and wearing of masks.
- vii. The guidelines issued for theatre and cinema artists will apply to stage performers.
- viii. Adequate supplies of sanitizers, thermal guns and physical distancing floor markings to be ensured.
- ix. Pre-identification of space/ site in each event venue for isolation of suspect cases.
- x. Close circuit cameras etc. may be considered to monitor compliance of physical distance norms, wearing of masks at each venue.
- xi. In case of rallies and processions, route planning, identification of immersion sites, ensuring cap on numbers, physical distancing etc. must be planned beforehand and measures for enforcement outlined.
- xii. All events must plan for medical care arrangements with linkages to nearest hospitals to attend to health emergencies.

4. Generic preventive measures

The generic preventive measures that include simple public health measures are to be followed to reduce the risk of COVID-19. These measures need to be observed by all; the event managers, the organizational staff and the public visiting the festivities and are as follows:

- i. Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet in public places as far as feasible.
- ii. Use of face covers/masks to be mandatory.
- iii. Practice frequent hand washing with soap (for at least 40-60 seconds) even when hands are not visibly dirty. Use of alcohol-based hand sanitizers (for at least 20 seconds) can be made wherever feasible.
- iv. Respiratory etiquettes to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing/sneezing with a tissue/handkerchief/flexed elbow and disposing off used tissues properly.
- v. Self-monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest to State and District Helpline.
- vi. Spitting should be strictly prohibited.
- vii. Installation & use of Aarogya Setu App shall be advised to all.

5. All festivity events shall also ensure:

a) Planning of events

- i. A plan should be prepared well in advance about conduct of each activity (religious places, rallies, processions, cultural shows, fairs etc.), with all relevant stakeholders including event organizers, business owners, market associations, etc.
- ii. Festive events shall be permitted only outside the Containment Zones. Organizers/staff/visitors from Containment Zones shall not be permitted. People residing inside Containment Zones may be encouraged to observe all festivals inside their homes and not move out.

- iii. Keeping in view the physical distancing norms, event sites should have adequate floor area and proper markings at all locations which are likely to be visited by public.
- iv. Adequate manpower shall be deployed/ arranged by the organizers to ensure observance to physical distancing norms and other preventive measures at all times.
- v. Appropriate arrangements for personal protection gears like face covers/masks, and other logistic like hand sanitizers, soap, sodium hypochlorite solution for sanitizing frequently touched surfaces etc. shall be made available by event organizers/business owners for their staff as per requirements.
- vi. Adequate number of ticket counters shall be planned to facilitate compliance with physical distancing norms.
- vii. Event organizers/business owners may make suitable provisions for contact less payment.
- viii. A simple do's and dont's advisory may be circulated / displayed prominently at each event venue.
- ix. Posters/standees/AV media on preventive measures from COVID-19 must be displayed prominently at the event sites.
- x. All event managers shall brief the stall owners/staff on the Standard Operating Procedures of Ministry of Health and Family Welfare in the context of COVID.
- xi. The event sites should have a designated isolation room/ space for isolating any person found symptomatic during events/shows/rallies, till such time that medical help is available.

b) Entry and exit to the event site

- i. Preferably multiple and separate entry and exits for visitors shall be ensured. The structure/space/venue for the event must also ensure adequate natural cross-ventilation.
- ii. Entrances to have mandatory hand hygiene and thermal screening provisions.
- iii. Only those staff and visitors who are free of symptoms shall be allowed inside the venue.
- iv. Anyone found symptomatic during thermal screening should be politely refused entry and advised to seek immediate medical care.
- v. All staff and visitors to be allowed entry only if using face cover/masks. The face cover/mask has to be worn by all at all times while in public places.
- vi. Physical distance of a minimum of 6 feet, when queuing up for entry and inside the venue as far as feasible. Specific marking for the purpose may be done.
- vii. Proper crowd management inside and outside premises like parking lots, waiting areas, stalls and eateries etc. duly following physical distancing norms shall be ensured.
- viii. For entry into the religious places, shoes / footwear to be preferably taken off inside own vehicle. If needed they should be kept in separate slots for each individual / family by the persons themselves.
- c) Movement within the event venue
 - i. The number of visitors inside the event venue shall be restricted in accordance with the order issued by Ministry of Home Affairs from time to time.
 - ii. Seating arrangement in the pandaals, food courts, shows etc. must ensure adequate physical distancing. Any shops, stalls, cafeteria etc., outside and within the premises too shall follow physical distancing norms at all times.
 - iii. Arrangements for safe drinking water, if required, should be made (preferably with provision for disposable cups/glasses) in the event premises.
 - iv. For air-conditioning/ventilation, the guidelines of CPWD shall be followed which emphasize that the (i) temperature setting of all air conditioning devices should be in the range of 24-

 30° C, (ii) relative humidity should be in the range of 40- 70%, (iii) re-circulation of air to be avoided to the extent possible, (iv) intake of fresh air should be as much as possible and (v) cross ventilation should be adequate.

- v. In religious places, touching of statues/idols / holy books etc. shall not be allowed.
- vii. In view of potential threat of spread of infection, as far as feasible recorded devotional music/songs may be played and choir or singing groups should not be allowed.
- viii. Community kitchens/langars / "Ann-daan", etc. at event venue should follow physical distancing norms while preparing and distributing food.
- ix. Community kitchen managers and business owners of food outlets to ensure adherence to highest level of personal and environmental hygiene all the time, especially at the time of preparing, serving /eating meals and after disposal.

d)Sanitation and Hygiene

- i. Effective and frequent sanitation within the premises shall be maintained with particular focus on commonly touched surfaces/areas including lavatories, drinking and hand washing stations/areas.
- ii. Cleaning and regular disinfection (using 1% sodium hypochlorite) of frequently touched surfaces (doorknobs, elevator buttons, handrails, que barricades, seats, benches, washroom fixtures, etc.) to be made mandatory in all public utility common areas.
- iii. Visitors and staff should be advised to dispose of used face covers / masks in covered bins available at the premises. The waste thus generated may be disposed of in accordance with the hazardous waste disposal guidelines.

e) <u>SOP to be followed in case of a suspect case or person who develops symptoms during the conduct</u> of the event

- iv. Place the ill person in a room or area where they are isolated from others.
- v. The person will remain isolated while wearing a mask/face cover till such time he/she is examined by a doctor.
- vi. If symptoms deteriorate, inform the nearest medical facility (hospital/clinic) or call the State or District Helpline.
- vii. A risk assessment shall be undertaken by the designated public health authority (district RRT/treating physician) and accordingly further action be initiated regarding management of case, his/her contacts and need for disinfection.
- viii. Disinfection of the premises to be taken up if the person is found positive.